कार्यालय नगर परिषद मेदिनीनगर

ज्ञापांक .... दिनांक ....

सूचना

नगर परिषद मेदिनीनगर के क्षेत्र विस्तार हेतु नगर विकास एवं आवास विभाग झारखण्ड राँची का अधिसूचना संख्या –8/न0वि0/विविध/109/2015– 1351 राँची, दिनांक 27.02.17 के अनुसार क्षेत्र विस्तार किया गया है। जिन किसी को किसी तरह का दावा/आपत्ति हो तो वे 30 दिनों के अन्दर उपायुक्त, पलामू के कार्यालय में आपत्ति/दावा कर सकते है।

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद, मेदिनीनगर

ज्ञापांक .... दिनांक ....

प्रतिलिपि :– कार्यालय सूचना पट पर साटकर आम जनता को सूचनार्थ एवं सरकार के Website http//: udhd.gov.in पर अवलोकन किया जा सकता है।

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद, मेदिनीनगर

3.3.17

ज्ञापांक 624 दिनांक 03/03/2017

प्रतिलिपि :– जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, पलामू को सूचनार्थ एवं जिला के वेवसाईट पर अपलोर्ड करने हेतु प्रेषित।

03/03/2017

03/03

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद, मेदिनीनगर

पत्रांक 454

झारखण्ड सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

विभागीय website + NIC + सूचना पट्ट में प्रदर्शित करें। 02/03

अधिसूचना

TD

अधिसूचना संख्या–8/न0वि0/विविध/109/2015–1351 राँची, दिनांक–27/02/17

झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा–3 (1) (2), 4, 5, 6 एवं 8 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल पलामू जिलान्तर्गत मेदिनीनगर नगर परिषद, वर्ग–'ख' को उसके आस–पास के 14 राजस्व ग्रामों यथाः– (i) सुदना (ii) बारालोटा (iii) रेड़मा (iv) बैरिया (v) निमिया (vi) सिंगराखुर्द (vii) सिंगरा कला (viii) बजराहा (ix) पोखराहा खुर्द (X) टिकुलिया (xi) शाहपुर (xii) कल्याणपुर (xiii) चैनपुर (xiv) गुरहा की कुल जनसंख्या–158941 होने के फलस्वरूप मेदिनीनगर नगर परिषद, वर्ग–'ख' को वृहत्तर शहरी क्षेत्र (नगर निगम) के रूप में घोषित करने संबंधी **'प्रारूप आदेश'** निर्गत करना चाहते हैं।

758 28/2/17

इससे प्रभावित होने वाले व्यक्तियों के सूचनार्थ एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है कि इस अधिसूचना के ''झारखण्ड गजट'' में प्रकाशन के 30 (तीस) दिनों के अन्दर मेदिनीनगर नगर निगम के गठन के प्रस्ताव/प्रारूप पर आपत्ति एवं सुझाव उपायुक्त, पलामू के कार्यालय में समर्पित कर सकते हैं।

उपर्युक्त अवधि के दौरान उपायुक्त, पलामू के कार्यालय में प्राप्त आपत्तियों/सुझावों को झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा–5 की उपधारा–(2) के अधीन उपायुक्त, पलामू द्वारा विचार करते हुए उनके निष्पादन हेतु आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।

प्रारूप आदेश

झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा–3 (1) (2), 4, 5, 6 एवं 8 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ मेदिनीनगर नगर परिषद, वर्ग–'ख' के मूल रूप में उसके आस–पास के 15 राजस्व ग्रामों (राजस्व ग्रामों की सूची जनसंख्या सहित परिशिष्ट–I के रूप में संलग्न) को मिलाकर वृहत्तर शहरी क्षेत्र (नगर निगम) के रूप में घोषित करते हैं।

झारखण्ड के राज्यपाल के आदेश से।

27.2.17

(अरूण कुमार सिंह)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–8/न0वि0/विविध/109/2015–1351 राँची, दिनांक–27/02/17

प्रतिलिपिः–अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं राजकीय गजट के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित/नोडल पदाधिकारी, ई–गजट, नगर विकास एवं आवास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित/निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, झारखण्ड, राँची को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे नगर निगम क्षेत्र के गठन की आशयित अधिसूचना कम से कम दो प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित कराना सुनिश्चित करेंगे, जिनमें से एक समाचार पत्र संबंधित क्षेत्र की जनभाषा में हो, जो वहाँ के निवासियों के लिए बोधगम्य हो।

2. प्रकाशनोपरान्त अधिसूचना की 300 प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

27.2.17

सरकार के प्रधान सचिव।

UDD Hall/D/Adhisucha-4

ज्ञापांक–8 / न0वि0 / विविध / 109 / 2015–1351 रॉंची, दिनांक–27/02/17

प्रतिलिपिः–महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव, झारखण्ड / सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, झारखण्ड, रॉंची को सूचनार्थ प्रेषित।

27.2.17

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–8 / न0वि0 / विविध / 109 / 2015–1351 रॉंची, दिनांक–27/02/17

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव / मुख्य सचिव, झारखण्ड, रॉंची / महालेखाकार, झारखण्ड, रॉंची / सभी प्रधान सचिव / सचिव / विभागाध्यक्ष, झारखण्ड, रॉंची / प्रमण्डलीय आयुक्त, पलामू प्रमण्डल / उपायुक्त, पलामू / कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, मेदिनीनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27.2.17

सरकार के प्रधान सचिव।

UDD Hall/D/Adhisucha-5

परिशिष्ट–I

झारखण्ड सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

मेदिनीनगर नगर निगम का गठन

उपायुक्त, पलामू के पत्रांक–115, दि०–07.02.17 द्वारा प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में मेदिनीनगर नगर परिषद, वर्ग–'ख' के मूल रूप में समाहित होनेवाले **14 राजस्व ग्रामों की सूची जनसंख्यावार निम्नवत् है:–**

1351
27/02/17

क्र०	स्थल का नाम	थाना संख्या	जनसंख्या (वर्ष 2011 के अनुसार)	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	जनसंख्या घनत्व (वर्ग कि०मी०)
A.	मेदिनीनगर नगर परिषद, वर्ग–'ख'				
1	मेदिनीनगर नगर परिषद् वर्ग–'ख'	189	78396	883	8878
B.	प्रखंड–मेदिनीनगर				
1	सुदना	191	14552	229.598	6340
2	बारोलोटा	198	14880	695.533	2139
3	रेड़मा	188	12497	605.871	2063
4	बैरिया	197	2685	278.723	963
5	निमिया	192	2171	155.913	1392
6	सिगरा खुर्द	194	3296	377.915	872
7	सिगरा कला	195	1645	344.233	478
8	बजराहा	193	195	101.236	193
9	पोखराहा खुर्द	205	4788	549.542	871
10	टिकुलिया	196	02	108.625	2
C.	प्रखंड–चैनपुर				
11	शाहपुर	112	13513	433.997	3114
12	कल्याणपुर	113	1278	132.955	962
13	चैनपुर	118	8188	90.038	9097
14	गुरहा	114	855	104.898	816
	कुल–		158941	5092.077	38180

मेदिनीनगर नगर निगम एक झलक में:–

नगर निगम की कुल जनसंख्या–158941

नगर निगम की कुल क्षेत्रफल–5092.077 हेक्टेयर

नगर निगम की जनसंख्या का घनत्व–38180 वर्ग कि०मी०

27.2.17

(प्रधान सचिव)

नगर विकास एवं आवास विभाग।

(1)

Manju/E/Sec-8/ Sanlekh Medininagar Nagar Nigam-6